

निवेशकों को उद्यम लगाने में होगी आसानी

नियम, अधिनियम व प्रशासनिक आदेशों की समीक्षा करेगी सरकार

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश सरकार कारोबारी सहूलियतों व औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को सुगम बनाने के लिए नियमों, अधिनियमों व अन्य तरह के प्रशासनिक आदेशों की समीक्षा करेगी। इसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है।

दरअसल, प्रदेश में कई तरह के कायदे-कानून हैं जिस पर अलग-अलग उद्यम स्थापना के लिए अमल करना पड़ता है। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के सुझावों पर कार्यवाही करते हुए निवेशकों पर पड़ने वाले 'रेगुलेटरी कंप्लायंस बर्डन' को न्यूनतम करने के लिए करीब 659 तरह के नियमों, अधिनियमों व प्रशासनिक आदेशों की समीक्षा करने का फैसला किया है। टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर अनावश्यक कानून व



**टास्क फोर्स गठित,
खत्म होंगी अनावश्यक
कानूनी उलझनें**

प्रशासनिक आदेशों को समाप्त करने या एक दूसरे से जोड़कर कम करने की कार्यवाही होगी। यह काम एक वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।

अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने इसके लिए सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास नीना शर्मा की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन कर

दिया है। इसमें अपर मुख्य सचिव एमएसएमई द्वारा नामित विशेष सचिव, प्रमुख सचिव विधायी द्वारा नामित विशेष सचिव, एमडी पिकप व अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी इन्वेस्ट यूपी को शामिल किया गया है। यह टास्क फोर्स केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव वाणिज्य मंत्रालय द्वारा इस संबंध में उठाए गए बिंदुओं पर काम करेगी और शासन को प्रगति की नियमित फीडबैक देगी।

प्रदेश में जल्द होंगे सामूहिक विवाह कार्यक्रम

लखनऊ। समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा कि योजनाओं को लागू करने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराते हुए पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए कार्यक्रम का आयोजन कराया जाए।

पेंशनरों को समय से भुगतान किया जाए। शास्त्री ने सोमवार को समाज कल्याण निदेशालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय अधिकारियों को

जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना,



**समाज कल्याण
मंत्री ने दिए निर्देश,
कहा-लापरवाही
नहीं होगी बर्दाश्त**

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह की योजना, वृद्धाश्रम संचालन योजना, अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूह के सर्वांगीण विकास के लिए एकीकृत विकास योजना की प्रगति की समीक्षा की।

प्रमुख सचिव समाज कल्याण बीएल मीना ने कहा कि निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन किया जाएगा। इस अवसर पर निदेशक समाज कल्याण बालकृष्ण त्रिपाठी भी उपस्थित रहे।